

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Maharshi Vitthal Ramji Shinde tuition and examination fee scheme (Class 1 to 10)

निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस में मदद।

क्या मिल सकता है

10 महीने तक मासिक राशि: कक्षा 1 से 4 के लिए 100 रुपये, 5 से 7 के लिए 150 रुपये, 8 से 10 के लिए 200 रुपये। पेज के अनुसार पूरी ट्यूशन और टर्म फीस भी कवर होती है।

किसके लिए है

निजी गैर-अनुदानित स्कूलों (कक्षा 1 से 10) में पढ़ने वाले BPL परिवारों के SC विद्यार्थी।

मुख्य शर्तें

- SC विद्यार्थी।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे।
- मान्यता प्राप्त निजी गैर-अनुदानित या स्थायी गैर-अनुदानित स्कूल, कक्षा 1 से 10।

आवेदन कैसे करें

- MahaDBT पोर्टल <https://mahadbt.maharashtra.gov.in/> पर आवेदन करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/maharshi-vitthal-ramji-shinde-tuition-fees-and-examination-fees-1st-to-10th-std/>

आधिकारिक आवेदन: <https://mahadbt.maharashtra.gov.in/>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-vitthal-shinde-fee-reimbursement/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।